

(प्रशासन गांवों के संग अभियान- 2021, कैम्प सोरली)

राजस्थान सरकार

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
पीठासीन अधिकारी- सुनील कुमार चौहान आर.ए.एस

मिसल संख्या:- 521/2021

-:आदेश:-

दिनांक 10-11-2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं सरपंच ग्राम पंचायत सोरली व तहसीलदार बुहाना की अभिशांषा के आधार पर, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ककड़ा पटवार मण्डल ठाणी जालौर की जमाबन्दी सम्वत् 2075-76 के खाता संख्या 82 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	ककड़ा	82	राजराज सिंह, जमन सिंह, मकनुल सिंह, सवाई सिंह, श्री प्रहलाद सिंह, श्री राजश्री (स.डि.ए. रकमेश)	राजराज सिंह, जमन सिंह, मकनुल सिंह, सवाई सिंह, श्री सतकु सिंह, श्री राजश्री (स.डि.ए. रकमेश)

नोट - रहन यदि कोई हो तो निर्णय/आदेश की पालना रहनमुक्त के पश्चात करे।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर,
बुहाना जिला-झुंझुनू (राज.)
दिनांक :- 10-11-2021

क्रमांक :- राजस्व/2021/ 282-83

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार बुहाना को वास्ते पालनार्थ (दो प्रति)
2. प्रार्थी जमन सिंह, श्री सतकु सिंह, श्री राजश्री को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बुहाना जिला-झुंझुनू (राज.)